REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072025-264767 CG-DL-E-17072025-264767

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3198] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 17, 2025/आषाढ़ 26, 1947 No. 3198] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 17, 2025/ASHADHA 26, 1947

# वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना

## नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2025

**का.आ. 3268(अ).**— केन्द्रीय सरकार, बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिवेश अधिनियम, 1988 (1988 का 45) की धारा 50 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, खंड (ii) अधिसूचना संख्या का.आ. 5323(अ), तारीख 16 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, की अधिसूचना का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 5 के समक्ष, स्तंभ (3) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-"12वें अपर सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, रायपुर।"; (ii) क्रम संख्या 21 के समक्ष, स्तंभ (3) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"विशेष न्यायालय (सांप्रदायिक दंगे), जयपुर।"।

[अधिसूचना सं. 117/2025/फा. सं. 149/144/2015-टीपीएल-भाग(2)]

सैमुअल पिटा, उप सचिव (कर नीति एवं विधान)

टिप्पण - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 5323(अ), तारीख 16 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

### MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Revenue)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2025

**S.O. 3268(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 (45 of 1988) and in consultation with the Chief Justice of the respective High Court, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 5323(E), dated the 16<sup>th</sup> October, 2018, namely:-

2. In the said notification, in the Table,-

(i) against serial number 5, for the entries under column (3), the following entries shall be substituted, namely:-

"Court of XII Additional Sessions Judge, Raipur.";

(ii) against serial number 21, for the entries under column (3), the following entries shall be substituted, namely:-

"Special Court (Communal Riots), Jaipur.".

[Notification No. 117/2025/F. No. 149/144/2015-TPL-Part(2)] SAMUEL PITTA, Dy. Secy. (Tax Policy & Legislation)

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 5323(E), dated the 16<sup>th</sup> October, 2018.